



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग के अपहरण के अभियोग में 02 अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 21,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सिसोलर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 03/2018 धारा-363,366,376D भा0द0सं0 व 6 पाक्सो एक्ट सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पाँक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अभियुक्तगण जय सिंह व जीतू सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह उर्फ गोली सिंह उर्फ शिवजीत को धारा 363 भा0द0सं0 मे 03-03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3,000-3,000/-रु0 से दण्डित किया गया, दोषी जय सिंह पुत्र भोला सिंह निवासीगण भुलसी थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर को धारा-366 भा0द0सं0 मे 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000/-रु0 के अर्थदण्ड एवं धारा-04 पाक्सो एक्ट में 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
नि0 अभिमन्यु यादव



पैरोकार- थाना
सिसोलर
हे0का0 धर्मेन्द्र मिश्रा